"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 मार्च 2014—फाल्गुन 12, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-113/2011/सात-4. — छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोटवारों के नक्सली हिंसा में मृत्यु, अंग-भंग की दशा में अनुग्रह अनुदान नियम, 2013 के नियम-10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम-1 तथा नियम-9 में, शब्द "नक्सली हिंसा" के पश्चात् शब्द "तथा दुर्घटना" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. नियम-5 के उप नियम (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"(चार) दुर्घटना में मृत्यु होने पर — रुपये 75,000/-

(पांच) दुर्घटना में 100 प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर — रुपये 37,500/-"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.